राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2549/2024

प्रेम प्रकाश शर्मा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. प्रमुख सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. आयुक्त/सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद सवाई माधोपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 13.08.2024

आदेश की दिनांक : 02.09.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री के.सी.शर्मा, अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावें कि अपीलार्थी को प्रथम नियुक्ति तिथी से तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ एवं समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान किये जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी सार्वजनिक निर्माण विभाग में वर्ष 1983 में प्रथम नियुक्ति हुई थी और उसे वर्ष 1985 में अर्द्धस्थायी घोषित किया गया तथा वर्ष 2002 में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग में समायोजित किया गया। समायोजन नियम में यह प्रावधान है कि कर्मचारी को पूर्व विभाग की सेवायें वरियता में शामिल की जावेगी एवं उक्त सेवायें पेंशन योग्य होंगे। अपीलार्थी दिनांक 30.06.2017 को सेवानिवृत्त हुआ और पूर्व विभाग की सेवाओं सहित 35 वर्ष की सेवा की है। इस प्रकार अपीलार्थी तृतीय चयनित वेतनमान प्राप्त करने का अधिकारी है। वर्कचार्ज नियमों राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1998 में समाप्त कर दिया गया है और अर्द्धस्थायी घोषित किये जाने पर अपीलार्थी 9, 18 एवं 27 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चयनित वेतनमान प्राप्त करने का अधिकारी है, परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ प्रदान नहीं किया गया, जो नियम विरूद्ध है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 18941/2018 गुलाम रसूल बनाम राजस्थान राज्य व अन्य के केस का अवलंबन लेते हुये याचिका संख्या 1497/2024 कृष्णानंद बनाम सरकार में दिनांक 01.02.2024 को आदेश पारित किया और उक्त आदेश के अनुसार अपीलार्थी भी उक्त लाभ प्राप्त करने का हकदार है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावें कि अपीलार्थी को प्रथम नियुक्ति तिथी से तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ एवं समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान किये जावें।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों को ध्यान में रखते हुये आगामी एक माह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करें और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दें।

अतः उक्त अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)